

रु.
250000

पच्चीस हजार रुपये

INDIA

Treasury Officer

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

27 JUL 2015

S. T. O. / A. T. O.

E-723365

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



विक्रय-पत्र

विक्री 7,44,000/-

मालियत 7,60,000/-

स्टाम्प 53,200/-

लेख-पत्र का संक्षिप्त विवरण :

1. भूमि का प्रकार
2. परगना
3. ग्राम

- कृषि
- प्रतापगंज
- छेदानगर

वी-कोड-1351 पृष्ठ-94

हिलेश

lro

रु.

25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.

25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

27 JUL 2015

Sr. T.O./A.T.O.

E-723364

UTTAR PRADESH

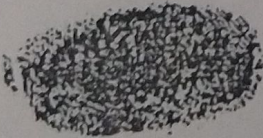
(2)

- | | | | |
|----|-----------------------|---|-----------|
| 4. | सम्पत्ति का विवरण नं० | - | 1157 |
| 5. | मापन की इकाई | - | हे० |
| 6. | क्षेत्रफल | - | 0.076 हे० |
| 7. | सड़क की स्थिति | - | कुछ नहीं |

400

8181 8911

हिमेश



एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

21 JUL 2015

Rs.1000

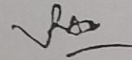
INDIA

UTTAR PRADESH

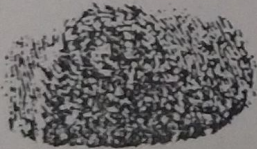
AP 410870

(3)

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 8. अन्य | - कुछ नहीं |
| 9. सम्पत्ति का प्रकार | - कृषि/सड़क से हटकर |
| 10. पेड़ों का मूल्यांकन | - कुछ नहीं |
| 11. बोरिंग कुआं व अन्य | - कुछ नहीं |



हिंमंशु



एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

21 JUL 2015

Rs.1000

INDIA

देश UTTAR PRADESH

AP 410871

(4)

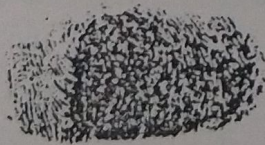
12. सरकारी दर - 50,00,000/- प्रति हे0

13. प्रतिफल की धनराशि - 7,44,000/-

14. चौहद्दी गाटा संख्या 1157

पूरब खेत गाटा संख्या 1158 पश्चिम खेत गाटा संख्या 1161 व
1162 उत्तर खेत गाटा संख्या 1156 दक्षिण खेत गाटा संख्या
1260.

हिमेश



✓

एक हजार रुपये

रु. 1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs. 1000

1 JUL 2015

INDIA

देश UTTAR PRADESH

AP 410872

(5)

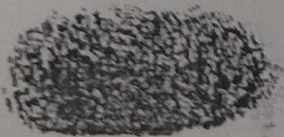
प्रथम पक्ष संख्या 1
विक्रेता का विवरण

द्वितीय पक्ष संख्या 1
क्रेता का विवरण

हिमांशु पुत्र सूर्यपाल सिंह
उर्फ सूरज पाल
निवासी ग्राम छेदानगर परगना
प्रतापगंज तहसील नवाबगंज
जिला बाराबंकी।
नि०का०सं०-XFE0581777

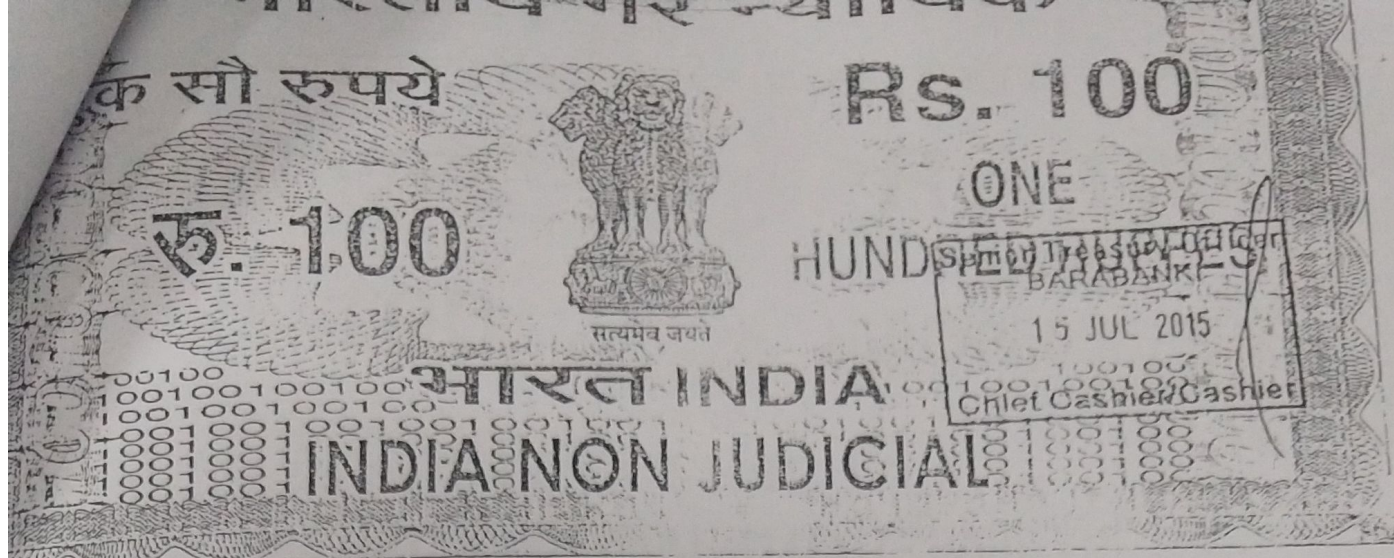
स्टैलियन इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि०
Cin No. U70102UP2014PTC067353
द्वारा डायरेक्टर विशाल पुत्र सुजान
निवासी म०नं०-41 मोहल्ला विशम्भरपुर
गनियारी परगना व तहसील व जिला
देवरिया।
नि०का०सं०-UP/41/202/0618153

हिमांशु



जा०





प्रदेश UTTAR PRADESH

CN 975010

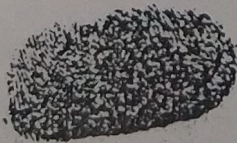
(6)

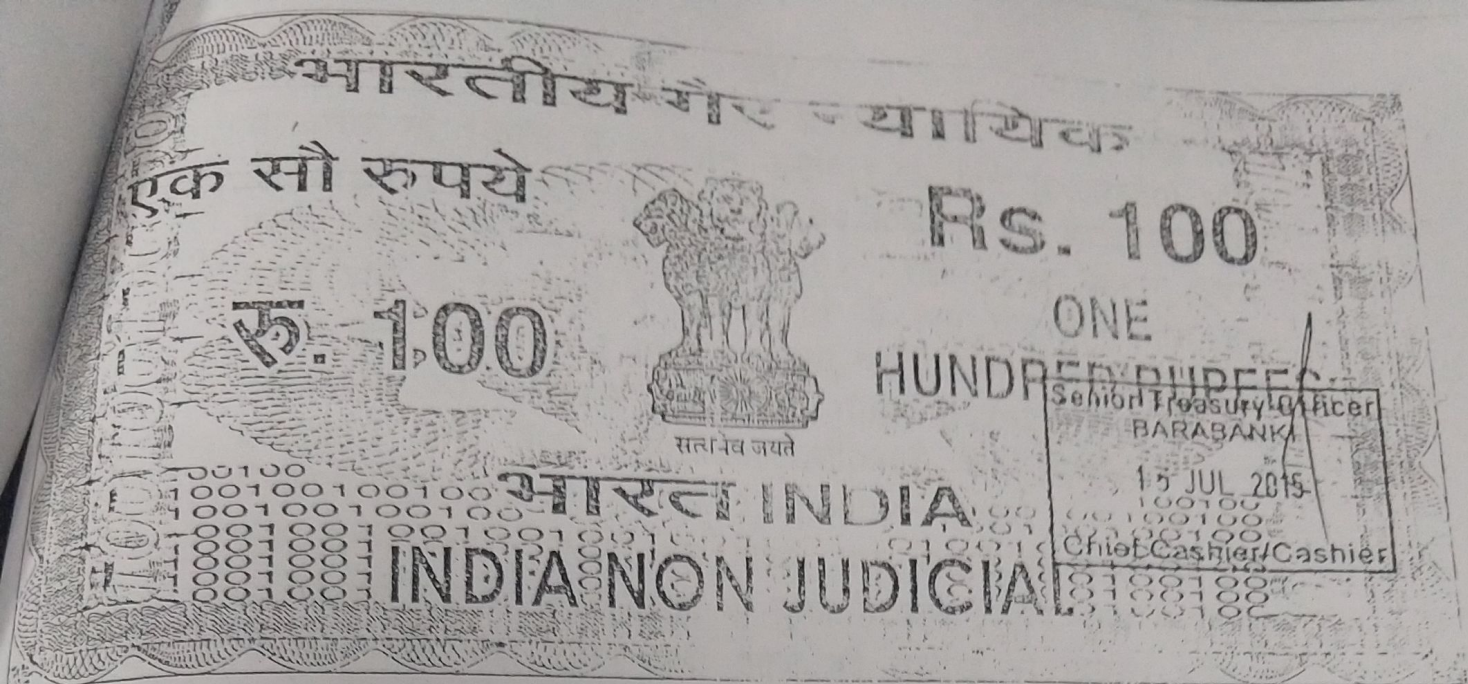
-:: लेखपत्र का सम्पूर्ण विवरण ::-

हम हिमांशु पुत्र सूर्यपाल सिंह उर्फ सूरज पाल निवासी ग्राम छेदानगर परगना प्रतापगंज तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी प्रथम पक्ष विक्रेता व स्टैलियन इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि० द्वारा डायरेक्टर विशाल पुत्र सुजान निवासी म०न०-41 मोहल्ला विशम्भरपुर गनियारी परगना व तहसील व जिला देवरिया द्वितीय पक्ष क्रेता। हम दोनों पक्ष भारतीय नागरिक हैं एवं दोनों पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं।---

[Handwritten signature]

हिमांशु





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CN 975009

(7)

जोकि मैं प्रथम पक्ष आराजी भूमिधरी नम्बर 1157 रकबा 0.152हे0 जो ग्राम छेदानगर परगना प्रतापगंज तहसील नवावगंज जिला बाराबंकी में स्थित है। जिसका प्रथम पक्ष 1/2 भाग की भूमि का पूर्णया स्वामी व संक्रमणीय भूमिधर है जो आज तक हर प्रकार के बन्धक व हस्तान्तरण आदि से शुद्ध व मुक्त प्रथम पक्ष के स्वामित्व व कब्जे में है कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित या साझीदार नहीं है।---

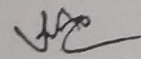
[Handwritten signature]

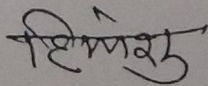
[Handwritten signature]

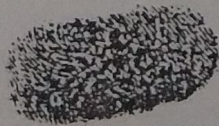


(8)

अतः मैं प्रथम पक्ष अपनी शुद्ध बुद्धि व सचेत दशा में बिना किसी जोर या दबाव के स्वेच्छा से उपरोक्त अपने 1/2 भाग (0.076 हे०) भूमि को सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार सहित मु० 7,44,000/- सात लाख चौवालीस हजार रुपया जिसके आधे 3,72,000/- तीन लाख बहत्तर हजार रुपये होते हैं के बदले में द्वितीय पक्ष के हाथ बेच दिया तथा कुल विक्रय मूल्य में से मु० 2,44,716 रुपया जरिये चेक संख्या 062293 व मु० 2,00,000/- रुपया जरिये चेक संख्या 067625 दिनांकित 28.07.2015 जारी बैंक आई०सी०आई०सी०आई बैंक शाखा इन्दिरानगर फैजाबाद रोड लखनऊ व शेष 3,00,000/- रुपया नगद इस प्रकार कुल 7,44,000/- रुपया इस विक्रय पत्र लिखने के पहले ही प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से नगद वसूल पा चुका है अब विक्रय मूल्य में से कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। अतः आज की तारीख से विक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष ने अपने ही समान द्वितीय पक्ष का पूर्ण अधिकार व कब्जा करा दिया। इकरार करता हूँ कि अब आज से मुझ प्रथम पक्ष या मेरे किसी उत्तराधिकारी या अन्य व्यक्ति का कोई स्वत्व या सम्बन्ध विक्रीत भूमि में शेष नहीं रहा द्वितीय पक्ष पूर्णतया स्वामी है जो चाहे करे व विक्रीत भूमि का दाखिल खारिज इस विक्रय-पत्र द्वारा द्वितीय पक्ष अपने नाम करा लेवे। यदि किसी की दावेदारी से विक्रीत भूमि या उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष के स्वामित्व व कब्जे से निकल जावे तो उसकी वापसी विक्रय मूल्य हर्जा व खर्चा न्यायालय अर्थात् उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष व उसके बाद उसके वारिसान पर होगी। अस्तु यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे।----





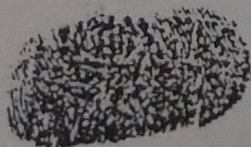


(9)

विक्रीत भूमि किसी मुख्य मार्ग या अन्य मार्ग या खड़न्जा मार्ग पर नहीं है। इससे सम्बन्धित इससे पूर्व कोई इकरारनामा बय नहीं किया है। यह प्रथम पक्ष की पुश्तैनी सम्पत्ति है इसमें कोई निर्माण नहीं है तथा विक्रीत भूमि में पेड़ व बोरिंग व कुओं व अन्य कोई निर्माण नहीं है। इसकी 0 से 200 मीटर की त्रिज्या के मध्य कोई आवासीय व औद्योगिक व व्यवसायिक गतिविधि नहीं है। विक्रीत भूमि वर्तमान समय में पूर्णतया कृषि भूमि है विक्रीत भूमि की मालियत सरकार द्वारा निर्धारित 50,00,000/- रूपया प्रति हे0 की दर से व विक्रीत भूमि का रकबा 0.102हे0 से कम होने के कारण दोगुनी दर से मालियत मु0 7,60,000/- रूपया होती है जिस पर अधिसूचना आदेश संख्या स0वि0क0नि0-5-2756/11-2008-500(165)/2007 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2008 के अन्तर्गत मु0 53,200/- रू0 के स्टाम्प दिये गये हैं। चौहद्दी गाटा संख्या 1157- पूरब खेत गाटा संख्या 1158 पश्चिम खेत गाटा संख्या 1161 व 1162 उत्तर खेत गाटा संख्या 1156 दक्षिण खेत गाटा संख्या 1260. लेख पत्र में स्टाम्प देयता को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों का पूर्णतया सत्यतापूर्वक उल्लेख कर दिया गया है। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उक्त विक्रय पत्र पक्षकारों द्वारा दिये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर लिखा गया है जिसकी समस्त जिम्मेदारी हम दोनों पक्षों पर होगी। उक्त विक्रीत भूमि में कोई स्टाम्प वाद नहीं है व कोई मध्यस्थ नहीं है। लेखपत्र को उभय पक्षों ने भली-भांति पढ़ व सुन व समझकर हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा किया है। तथा प्रथम पक्ष ने अपनी आवश्यकता के लिए नगद रूपया प्राप्त कर लिया है।-----

दिनांक 25

जे



आज दिनांक 29/07/2015 को
वही मं 1 जिल्द मं 8868
पृष्ठ मं 127 में 148 पर क्रमांक 13937
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

आर०के०श्रीवास्तव (प्रभा०)

उप निबन्धक नवाबगंज

वाराणसी

29/7/2015